न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
150 / 2025

तारीख दायरा
01.09.2025

तारीख फैसला
29.09.2025

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– सुरेन्द्र सिंह आत्मज भीमसिंह जाति राजपूत निवासी केवल नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

1– करण सिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2– भीमसिंह आत्मज करणसिंह जाति राजपूत निवासी 282 केवल नगर कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोआ राज0।
3– जुगराज सिंह आत्मज करण सिंह जाति राजपूत निवासी हनोतिया हाल निवास केवल नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
4– भंवरबाई पुत्री करण सिंह पत्नी भीमसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी फतेहपुर खुश्क तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
5– राजेश कंवर पुत्री भीमसिह पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
6– बृजेश पुत्री भीमसिंह पत्नी जयसिंह जाति राजपूत निवासी झालावाड़ तहसील व जिला झालावाड़ राज0।
7– अनुराधा पुत्री भीमसिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0।
8– नेहा पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी 282 केवल नगर कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से –श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 ता 2 व 4 ता 8 की ओर से – श्री गिरीराज प्रसाद मीणा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत घारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि ग्राम खेड़ली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 32 की खसरा नं0 729 रकबा 1.15 है0 कुल 1 किता रकबा 1.15 है0 ग्राम हनोतिया की खाता संख्या 15 की खसरा नं0 146/480 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 44/479 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 509 रकबा 1.37 है0 खसरा नं0 514 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 762/244 रकबा 0.04 है0 कुल 5 किता रकबा 2.60 है0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में स्थित चली आ रही है।
यह कि वाद पत्र में वादी का परिवारिक का शजरा निम्न प्रकार से है–

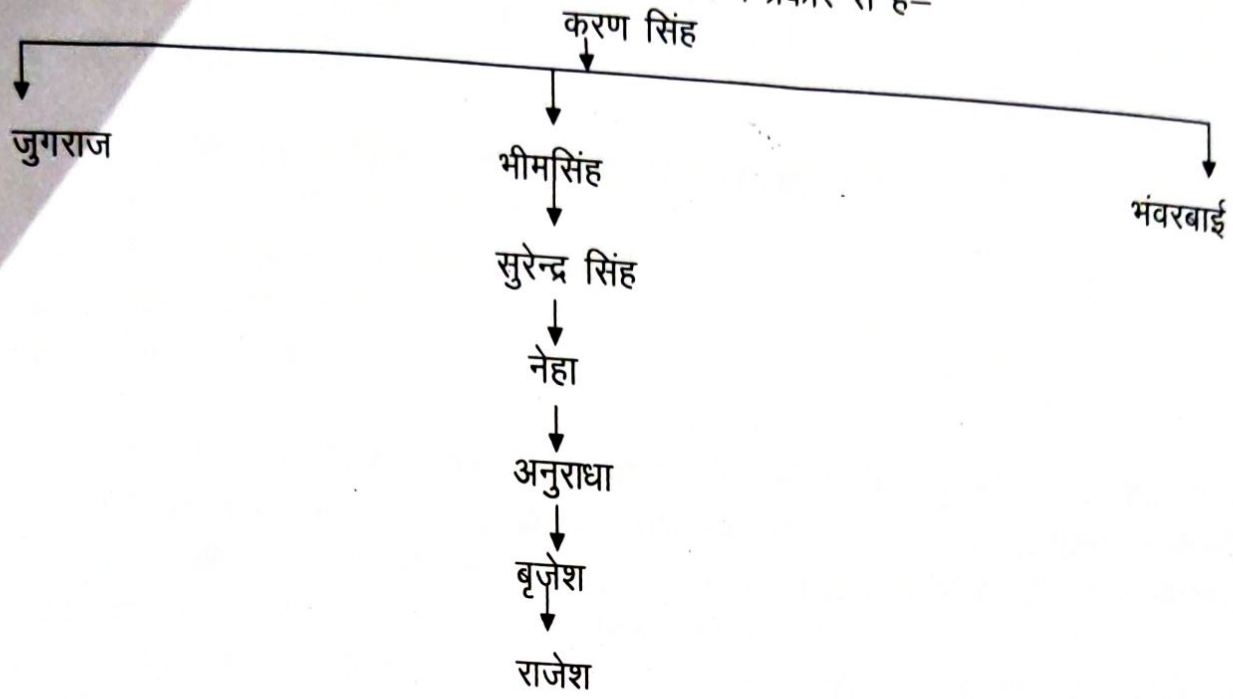

यह कि वादी प्रतिवादी नं0 1 का पौत्र व प्रतिवादी न0 2 का पुत्र है और उपरोक्त भूमिया वादी की पुश्तैनी भूमि है। जिसे प्रतिवादी नं0 1 द्वारा बादी को अपने अपने हिस्से की भूमि जोत हेतु दे रखी है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमि को खुर्द बुर्द, वैचान, अन्तरण करने पर आमादा है, जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि प्रतिवादी नं0 1 वादी की पुश्तैनी भूमि को बेचान करना चाहता है जबकि उपरोक्त आराजीयात वादी की पुश्तैनी भूमि है जिस पर वादी का जन्म से ही हित निहीत है। परन्तु प्रतिवादी नं0 1 की खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नं0 1 उपरोक्त आराजी को बेचान अन्तरण करने पर आमदा हे जिसका प्रतिवादी नं0 1 को कोई अधिकार नही है। यह कि प्रतिवादी न0 4 लगायत 8 की शादी हो चुकी हे ओर अपना हिस्सा अपने भाई के पक्ष में मौखिक हकत्याग कर दिया हे ओर उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा नहीं लेना चाहती है। प्रतिवादी न0 2 ने अपना हिस्सा अपने पुत्र के पक्ष में हकत्याग कर दिया है ओर वादी ही 1/2 हिस्से पर काबिज कास्त चल आ रहा है। यह कि उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 में चलकर अपना नाम भूमि में दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा भूमि को बेचान करने की धमकी दी। यह कि वाद कारण दिनांक 10.03.2025 को वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से उक्त भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की कहा तथा प्रतिवादी नं0 1 द्वारा इन्कार करने व बेचान करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। यह कि प्रतिवादी नं0 9 स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

है, वादी के पास धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने का समय नहीं होने से यह वाद 80 (2) जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत है। अतः उक्त वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि ग्राम खेड़ली तंवरान में खाता नं0 32 की खसरा नं0 729 रकबा 1.15 है0 कुल 1 किता रकबा 1.15 है0 ग्राम हनोतिया की खाता नं0 15 की खसरा नं0 146/480 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 44/479 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 509 रकबा 1.37 है0 खसरा नं0 514 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 762/244 रकबा 0.04 है0 कुल 5 किता रकबा 2.60 है0 भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें व प्रतिवादी नं0 2 व 4 लगायत 8 का हिस्सा हकत्याग से वादी के खाते दर्ज किया जावें।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम हनोतिया
2– नकल जमाबन्दी ग्राम खेड़ली तंवरान
3– नकल आधार कार्ड
4– नकल पेन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 3 को सूचना होने के बावजूद उप0 नहीं अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 व 4 ता 8 की आरे से अधि0 श्री पंकज मेघवाल एड0 द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 2 व 4 ता 8 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। उभयपक्षकारान में राजीनामा होने से न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा आदेशिका पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये गये। वादी की पहचान वादी अधि0 द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगण अधि0 द्वारा करवायी गयी। बहस राजीनामा पर सुनी गयी। वादीगण–प्रतिवादीगण के अधि0 ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, बहस वादीगण–प्रतिवादीगण अधि0 एवं सलंग्न अन्य दस्तावेजों एवं प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया।

वादीगण–प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:–

यह कि उपरोक्त उनवान का एक वाद सम्मानीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज पेशी तारीख नियत है।

राजीनामा

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपस में राजीनामा हो गया है जो ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद में खसरा नं0 146/480 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 44/479 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 509 रकबा 1.37 है0 खसरा नं0 514 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 762/244 रकबा 0.04 है0 कुल 5 किता रकबा 2.60 है0 भूमि एवं ग्राम खेड़ली तंवरान में खाता नं0 32 की खसरा नं0 729 रकबा 1.15 है0 कुल 1 किता रकबा 1.15 है0 स्थित है। जिसमें वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

है एवं 1/2 हिस्से वादी को खातेदार घोषित कर डिक्री पारित की जावें। यह कि प्रतिवादी क्रम 2, 4 ता 8 अपना हिस्सा वादी के पक्ष में हक त्याग कर दिया है जो अपना हिस्सा उपरोक्त आराजी मेंसे नहीं लेना चाहिए। इस कारण नाम डिलीट किये जाने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में ग्राम हनोतिया व खेड़ली तंवरान की आराजी में से वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें एवं रहन यथावत रखा जावें तथा बाकि 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 के नाम यथावत रखा जावें। जो राजीनामा के अनुसार डिक्री पारित की जावें। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामें के अनुसार डिक्री पारित की जावें।

पत्रावली बहस पर नियत की गई। बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन एवं मनन करने से हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी प्रस्तुत वाद में राजीनामा होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामाअनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम खेड़ली तंवरान में खाता नं0 32 की खसरा नं0 729 रकबा 1.15 है0 कुल 1 किता रकबा 1.15 है0 ग्राम हनोतिया की खाता नं0 15 की खसरा नं0 146/480 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 44/479 रकबा 0.11 है0 खसरा नं0 509 रकबा 1.37 है0 खसरा नं0 514 रकबा 1.01 है0 खसरा नं0 762/244 रकबा 0.04 है0 कुल 5 किता रकबा 2.60 है0 भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी के नाम यथावत रखी जावें। नियमानुसार हकत्याग शुल्क वसूल किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Note :- निर्णय में रहन यथावत पढ़ा जावें।